न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

17/156

1. किशन लाल आयु 65 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति जाट निवसी ग्राम रालडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. महावीर आयु 50 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. बदाम आयु 57 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. कैलाशी आयु 54 वर्ष आत्मज मांगलाल जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. संतरा आयु 52 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. उर्मिला आयु 47 वर्ष आत्मज मांगीलाल जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. पोखर आयु 80 वर्ष गोद पुत्र श्री दल्ला जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामदेव आयु 78 वर्ष आत्मज चतुर्भुज जाति जाट निवासी ग्राम रालडी तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी ।
4. भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश कहार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 16.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.03.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी

[illegible] आराजी तहसील नैनवा जिला बून्दी की कुल किता 10 की रकबा 67 बीघा 09 [illegible] ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी [illegible] इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को वादपत्र की चरण संख्या [illegible] खाता संख्या 32 की कृषि भूमि का तन्हा खातेदार घोषित किया जावे व खाता संख्या [illegible] कृषि भूमिों का 1/2 हिस्से के सहखातेदार घोषित किया जावे तदनुसार इन्द्राज दुरूस्ती [illegible] इसकी प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्ड में की जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही किसी अन्य से रावे तथा भूमियों का हस्तान्तरण व खुर्द–बुर्द नहीं करे ।

3. प्रतिवादी क्रम 1 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.03.2017 में दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना निष्कर्ष पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.03.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि खाता संख्या 32 की आराजी खसरा नम्बर 301 रकबा 23 बीघा जो सेटलमेंट से पूर्व दल्ला आत्मज हरबक्ष के खातेदारी में दर्ज थी जिसका पुराना खसरा नम्बर 228/2 था जिस पर इंतकाल संख्या 24 दिनांक 17.07.1960 को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सेटलमेंट कार्यवाहियों के तहत कार्यवाही करते हुए लम्बे समय से काबिज काश्त होने की वजह से नारायण वल्द जगन्नाथ के खातेदारी में दर्ज की गई थी तब से लेकर आज दिन तक मृतक नारायण के प्श्चात् उसके पुत्र मांगीलाल व मांगीलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र अपीलान्ट काबिज काश्त चले आ रहे हैं । दिनांक 11.01.2008 को मृतक नारायण का फौती नामान्तरकरण तस्दीक हुआ जिसमें प्रतिवादी क्रम 1 पोखर जरिये विरासत से उक्त भूमि में अपने नाम का अंकन करवाया जबकि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 पोखर विधिवत व समाज में प्रचलित रिति–रिवाजों के अनुसार बाल्यवस्था में ही दल्ला आत्मज हरबक्ष जाति जाट के गोद पुत्र के रूप में चला गया तथा अपने दत्तक पिता दल्ला वल्द हरबक्ष की भूमि पर दल्ला की मृत्यु के उपरानत दत्तक पुत्र के रूप में प्रविष्ट हो चुका था । उसका पूर्व परिवार से किसी भी प्रकार से काई विधिक व सम्पतिक सम्बन्ध नहीं रहा था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है । पोखर गोदपुत्र के रूप में चला गया था इस कारण हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण अधिनियम 1956 की धारा 12 के अनुसार दत्तक ग्रहण करने से पूर्व दत्तकग्रहिता पिता की सम्पत्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति में न्यस्त हो गई है या दत्तक जाने से पूर्व अपने वास्तविक पिता या पुश्तैनी भूमि में से कोई भूमि दत्तक पुत्र में निहित हो गई है तो उसे निर्विहित नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त कृत्य काबिज काश्त होने से खातेदारी प्राप्त कर चुका था तथा नारायण जीवित था ।

[illegible] निष्पादित हो गये हैं । उक्त वाद में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 किसी [illegible] लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 6 अविभक्त हिन्दू परिवार की [illegible] के मामले में सहदायिकी द्वारा प्राप्त हिस्सेदारी के सम्बन्धी में है । जबकि प्रस्तुत वाद [illegible] पिता की सम्पत्ति में रेस्पोडेन्ट कम 1 पोखर अपने पिता नारायण के जीवनकाल में ही [illegible] चला गया था अर्थात् हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अनुसार किसी भी व्यक्ति का अपने मूल परिवार को छोडकर दत्तक जाने पर दत्तक पुत्र की स्थिति दत्तक पिता के लिए पुत्र के जन्म के समान तथा दत्तक देने वाले पिता के लिए पुत्र की मृत्यु के समान स्थिति होती है क्योंकि दत्तक ग्रहण करते ही दत्तक ग्रहिता पिता की सम्पत्ति पर प्राकृतिक पुत्र के समान दत्तक पुत्र को अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तथा दत्तक देने वाले पिता की सम्पत्ति से दत्तक पुत्र का अधिकार समाप्त हो जाता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.03.2017 निरस्त फरमाया जावे व वादीगण अपीलान्ट का वाद डिकी किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 32 की खसरा नम्बर 301 रकबा 23 बीघा भूमि पूर्व में तन्हा खातेदार दल्ला आत्मज हरबक्ष जाति जाट रेस्पोडेन्ट कम 1 पोखर के दत्ता पिता थे नारायण आत्मज जगन्नाथ जो वादीगण अपीलान्ट के पितामह एवं रेस्पोडेन्ट के मूल पिता थे ने उक्त भूमि को बिना किसी आधार के गुपचुप तरीके से बिना दल्ला जी की जानकारी में लाये राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अवैध व अनाधिकृत रूप से उक्त नाराया जी ने अपने खातेदारी में दर्ज करवा लिया । उदक्त भूमि के सम्बन में नारायण आत्मज जगन्नाथ जाति जाट के नाम का इन्द्राज पूर्ण अवैध अनाधिकृत प्रभावशून्य एवं इनिशियो वाईट है । रेस्पोडेन्ट पोखर दल्ला का दत्तक पुत्र होने से उक्त भूमि पर खातेदार आसामी की हैसियत प्राप्त कर चुका है । सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ आत्मज रामलाल जो नारायण जी के पिता है के तन्हा खातेदारी कब्जे काश्त में थी । उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट की पुश्तैनी होने से उक्त भूमि में रेस्पोडेन्ट कम 1 के हित बार्य बर्थ निहित हो गये । पोखर के दल्ला जी के गोद जाने से पूर्व ही उक्त भूमि में पोखर ने अपने हक अर्जित कर लिये हैं । पोखर के गोद चले जाने से पूर्व ही उक्त भूमि में पोखर ने अपने हक अर्जित कर लिय है । पोखर के गोद चले जाने से पोखर के उक्त हकों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता ह । उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 373 दिनांक 11.01.2008 से रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/4 पर दर्ज किया है जो पूर्णतया विधि सम्मत है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिकी पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए उक्त निर्णय एवं डिकी पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.03.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में दिनांक 11.01.2008 को मृतक नारायण का फौती नामान्तरकरण तस्दीक हुआ जिसमें प्रतिवादी कम 1 पोखर जरिये विरासत से उक्त भूमि में अंकन किया । जबकि रेस्पोडेन्ट कम 1 पोखर विधिवत व समाज में प्रचलित रिति–रिवाजों के अनुसार बाल्यवस्था में ही दल्ला आत्मज हरबक्ष जाति जाट के गोद पुत्र के रूप में चला गया तथा अपने दत्तक पिता दल्ला वल्द हरबक्ष की भूमि पर दल्ला की मृत्यु के उपरान्त दत्तक पुत्र के रूप में प्रविष्ट हो चुका था ।

ने अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हिन्दू दत्तक एवं भरण–पोषण की धारा 12 का अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी के अनुसार दत्तक ग्रहण करने से पूर्व दत्तकग्रहिता पिता की सम्पत्ति अगर व्यक्ति में न्यस्त हो गई है या दत्तक जाने से पूर्व अपने वास्तविक पिता या पुश्तैनी से कोई भूमि दत्तक पुत्र में निहित हो गई है तो उसे निर्विहित नहीं किया जा सकता कि उक्त कृत्य काबिज काश्त होने से खातेदारी प्राप्त कर चुका था तथा नारायण जीवित था । इस प्राकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 01.03.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणागुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 16.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा